RCMS No:-[2018/00095]

उ०स० रसुलिया कि.मु० नि०डि० न

File No

38/18 18.10.18 भा०द०वि

37/18 212 R.T. Act

[illegible]

29.10.18
13.11.18
21.12.18
18.1.19
25.2.19
14/03/19
04/04/19
23/04/19
17/05/19
17/06/19
11/07/19
01/08/19
27/08
16.9.
10.10.19
14/11/19
19/12/19
16/01/20
17.2.20
12.3

Name :

Address :

Subject :

From : To:

NO. 300

[illegible]

Two Pcs. File

MANGALAM

[illegible]

Scanned by CamScanner

ईशाक बनाम गाजी मु० न० 37/19

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	19-12-19 वकील फरीकैन उपस्थित। पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक 16-1-20 को पेश हो।	
	16-1-20 पी.ओ.सा राजकीय / भ्रमण / मिटिंग / प्रोटाकोल / अवकाश में होने के कारण पत्रावली वास्ते गतादेश हेतु दिनांक 17-2-20 को पेश हो। रीडर	
	17-2-2020 वकील फरीकैन उपस्थित। अप्रार्थी सं० 6 लगा० 9 को जरिये रजि० ए०डी० दि० 19-12-2019 के से नोटिस भिजवाये गये। ए०डी० आजतक भी प्राप्त नहीं तामील मानी जाती है एकतरफा कार्यवाही की जाती है पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 12-3-2020 को पेश हो।	
	12-3-2020 वकील फरीकैन उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रा० पत्र के अनुरूप बहस करते हुये अप्रार्थीगण 1 लगा० 5 को ता. फैसला वाद-पत्र ख० न० 2484 रकबा 0.76 हे० ग्राम शोभा पर नींव खोदकर नाजायज कब्जा करने हेतु पाबन्द करने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण 1 लगा० 5 ने अपने जवाब व बहस में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख० न० 2484 में अप्रार्थीगण सं० 1 लगा० 5 का किसी भी तरह का सरोकार नहीं होना बताया है अतः प्रार्थीगण अप्रार्थीगण सं० 1 लगा० 5 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण सं० 1 लगा० 5 को जरिये ~~अस्थाई~~ अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे मूल वाद के निर्णय होने तक भूमि ख० न० 2484 पर नाजायज	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहलकार हुक्म में
	कब्जा न तो स्वयं करे और ना ही अन्य किसी से करावे। नही ऐसा कोई कार्य करे जिससे प्रार्थीगण के विधिक अधिकार आहत होते हो।	
	पत्रावली फैशल शुमार होकर होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील मूल वाद-पत्र के साथ संलग्न हो।	
	यह निर्णय आज दिनांक 12-3-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	12/03/20 (मनोज कुमार वर्मा) उप जिला मजिस्ट्रेट मलारना डूँगर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Verma
Date: 2020.06.23 16:41:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: